भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 3139

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना**

**3139. डा॰ प्रदीप कुमार बालमुचूः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार छात्रों के नियोज्यता कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस दिशा में ए आई सी टी ई और मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार बड़ी संख्या में मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद करने की तैयारी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे कॉलेजों को चिह्न्ति किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ग) : तकनीकी शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने और इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की नियोजनीयता में वृद्धि करने की दृष्टि से एआईसीटीई ने निम्‍नलिखित कार्य योजना अनुमोदित की है:

1. योजना: तकनीकी शिक्षा के लिए राज्‍य स्‍तर पर दीर्घावधि परिप्रेक्ष्‍य योजनाएं तैयार की जाएगी ताकि संबंधित राज्‍य सरकारों के परामर्श से सामने आ रहे मुद्दों का समाधान एक केंद्रित और नियोजित तरीके से किया जा सके। यह एआईसीटीई द्वारा नई संस्‍थाओं को अनुमोदन प्रदान करने के समय एक दिशा निर्देशी दस्‍तावेज होगा।

2. चयन: तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों का चयन मानकीकृत परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

3. प्रवेश प्रशिक्षण: प्रत्‍येक छात्र को प्रवेश लेने पर अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि तकनीकी शिक्षा के लिए आवश्‍यक मूल दृष्‍टिकोण एवं अपेक्षित भाषा कौशल को लागू किया जा सके। इस प्रवेश प्रशिक्षण की मॉडल पाठ्यचर्या और अवधि को एआईसीटीई द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

4. पाठ्यचर्या संशोधन: प्रत्‍येक सम्‍बद्ध तकनीकी विश्‍वविद्यालय, मौजूदा पाठ्यचर्या की जांच के अधिदेश के साथ तथा पाठ्यचर्या में प्रत्‍येक वर्ष समुचित परिवर्तन करने के लिए विषय-वार उद्योग परामर्श समिति (आईसीसी) गठित करेगा। यह प्रक्रिया आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्‍येक वर्ष के लिए दिसम्‍बर माह में पूरी हो जाएगी। प्रत्‍येक संस्‍था, अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय इस प्रक्रिया के पूरा किए जाने को प्रमाणित करेगी, जो अनिवार्य होगा।

5. अनिवार्य इंटर्नशिप: तकनीकी संस्‍था का प्रत्‍येक विद्यार्थी, अवर स्‍नातक पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले तीन इंटर्नशिप करेगा, जिसमें प्रत्‍येक इंटर्नशिप की अवधि 4 से 8 सप्‍ताह होगी। इंटर्नशिप के लिए उपयुक्‍त उद्योग अथवा संगठन खोजने में छात्रों की सहायता करने की जिम्‍मेदारी संस्‍था की होगी।

6. उद्योग तत्‍परता: अवर स्‍नातक कोर्स उत्‍तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थियों को उद्योग जगत में कार्य करने के लिए अपेक्षित तकनीकी और सॉफ्ट कौशल प्रदान किया जाएगा, जिनमें प्रबंधकीय कौशल, उद्यमिता कौशल, नेतृत्‍व कौशल, संप्रेषण कौशल, टीम के साथ मिलकर काम करने का कौशल और तकनीकी कौशल शामिल हैं।

7. नवाचार/स्‍टार्ट अप का संवर्धन: प्रत्‍येक स्‍तर पर विद्यार्थियों में नवाचार एवं सृजनात्‍मकता का संवर्धन करने के प्रयास किए जाएंगे। हैकाथन जैसे नवाचारी अभियानों का संवर्धन किया जाएगा ताकि ऐसे नवाचारी विचार तैयार हो सकें जिन्‍हें स्‍टार्ट-अप केंद्रों में विकसित (इन्‍क्‍यूबेट) किया जा सके।

8. परीक्षा सुधार: संस्‍थाओं द्वारा संचालित की जा रही अंतिम परीक्षाओं में विषयगत ज्ञान के स्‍थान पर दृष्‍टिकोण और कौशल की समझ की परीक्षा की जाएगी। एक मॉडल परीक्षा फॉर्मेट तैयार किया जाएगा और इसे उचित रूप से अपनाए जाने के लिए संस्‍थाओं एवं तकनीकी विश्‍वविद्यालयों के साथ साझा किया जाएगा। अनुमोदन के समय इस पहलू की समीक्षा की जाएगी।

9. अध्‍यापकों का प्रशिक्षण: तकनीकी शिक्षा के प्रत्‍येक विषय में हरेक अध्‍यापक अनिवार्य रूप से स्‍वयम पोर्टल के माध्‍यम से प्रदान किए जा रहे वार्षिक पुनश्‍चर्या पाठ्यक्रम करेगा जिसमें उनके अध्‍ययन के क्षेत्र में सभी प्रमुख विकास शामिल होंगे। अध्‍यापकों की शिक्षा प्रविधियों में सुधार करने के लिए ऑनलाईन पाठ्यक्रम भी तैयार किए जाएंगे और स्‍वयम मंच के माध्‍यम से प्रदान किए जाएंगे। संस्‍था के अनुमोदन के लिए न्‍यूनतम 50% संकाय सदस्‍यों द्वारा इन पाठ्यक्रमों में भागीदारी अनिवार्य शर्त होगी। इसी प्रकार संस्‍थाओं के प्रमुखों के लिए दो वर्ष में एक बार नेतृत्‍व प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये प्रशिक्षण स्‍वयम के मंच के माध्‍यम से भी संचालित किए जाएंगे।

10. अनिवार्य प्रत्‍यायन: तकनीकी संस्‍थाओं में सभी कार्यक्रमों के कम-से-कम आधे कार्यक्रम 2022 से पहले एनबीए के जरिए प्रत्‍यायित किए जाएंगे। जब तक कि प्रत्‍येक वर्ष विश्‍वसनीय प्रगति नहीं होती है तब तक संस्‍थाओं को अनुमोदन से मना किया जा सकता है। प्रत्‍यायन हेतु आवेदन की अनिवार्य आवश्‍यकताओं को पूरा करने में संस्‍थाओं की सहायता हेतु एक पृथक तंत्र स्‍थापित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्‍त, एआईसीटीई विद्यार्थियों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए राष्‍ट्रीय नियोजनीयता संवृद्धि मिशन (एनईईएम) और नियोजनीयता संवृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी) नामक योजनाओं का कार्यान्‍वयन कर रही है। साथ ही, एआईसीटीई ने विद्यार्थियों को इंटर्नशिप अवसर उपलब्‍ध कराने और उद्योग जगत से परिचित कराने के लिए सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार, इंटर्नशाला, एनईटीआईआईटी और लिंकेडिन के साथ भागीदारी भी की है ताकि विद्यार्थियों के तकनीकी ज्ञान को उद्योग आवश्‍यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

(घ) और (ड.) : जी, नहीं। एआईसीटीई स्‍वयं किसी भी संस्‍थान को बंद नहीं कर रही है। तथापि, कुछ संस्‍थानों को उनके अनुरोध, विद्यार्थियों की कमी सहित विभिन्‍न कारकों से उत्‍पन्‍न होने वाली वित्‍तीय गैर-व्‍यवहार्यता के कारण बंद किया गया है। परिषद ने उन पाठ्यक्रमों में 50% अनुमोदित दाखिला कम करने का निर्णय भी लिया है जहां पिछले निरंतर 5 वर्षों में अनुमोदित दाखिला 30% से कम है।

**\*\*\*\*\***